न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या —269/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हुरमत पत्नी अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी हालेपोतरों की बस्ती तहसील रामसर, जिला बाडमेर।		1.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन संख्या 269/2025 अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर रामसर (बाडमेर)

:—निर्णयः— दिनांक :—25.03.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी का एकल खातेदारी कब्जासुदा खेत मौजा चवा पटवार मण्डल इन्द्रोही भू.अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी तहसील रामसर के खसरा नंबर 158/42 रकबा 0.8700 हैक्टेयर का आया हुआ हैं। जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा एंव काश्त हैं प्रार्थीनी के को अपनें खातेदारी खेत खसरा नंबर 158/42 से मुख्य सडक पर आने जानें हेतु एंव अपनी जोत में जानें हेतु विप्रार्थी के खसरा नंबर 67/2 के सेढासेढ निकटतम कटाण मार्ग सडक परिशिष्ट ''अ'' नक्शा में बरंग लाल से दर्शित स्थान से प्रार्थीनी को सडक मार्ग तक आनें जानें के लिये रास्ते की आवश्यकता हैं और बरंग लाल से दर्शित स्थान रास्तें के उपयोग में कदीमी से आ रहा है। एंव खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचनें के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है। उपर्रोक्त परिशिष्ट ''अ'' नक्शा में बरंग लाल से दर्शित के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीनी के सयुंक्त खातेदारी में आनें जानें हेतु नजदीक में उपलब्ध नही हैं। यही एक आवागमन का सबसे निकटतम रास्ता हैं। प्रार्थीनी की जोत पर आनें जानें हेतु विप्रार्थी की जोत के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नया रास्ता उपलब्ध करवानें बाबत जरिये श्री ईकबाल खान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.12.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदन पत्र को दर्ज रजिस्टर कर संबधित विप्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किया गया ,तहसीलदार रामसर से इस न्यायालय के पत्रांक/ कोर्ट /2025/1094 दिनांक 26.12.2025 द्वारा मौका रिर्पोट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/मौका रिर्पोट/2026/317 दिनांक 18.03.2026 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

पत्रावली का अवलोकन किया, मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार/भूमिधारी रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का ग[illegible] अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार [illegible] भूमि तक आवागमन हेतु प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हानें से प्रस्तावित भूमि को गेरमुमकिन रास्ता घोषित करने में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चवा पटवार मण्डल इन्द्रोही भू.अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी तहसील रामसर के खसरा नंबर 158/42 रकबा 0.8700 हैक्टेयर भूमि तक आवागमन हेतु विप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) की बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नम्बर 67/2 रकबा 21.4645 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन में से लम्बाई 71 मीटर चौडाई 6 मीटर कुल रकबा 426 वर्गमीटर अर्थात 0.0426 हैक्टेयर संलग्न मौका रिर्पोट मय नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता हैं। यह आदेश तब ही क्रियान्वित होगा, जब प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित भूमिधारी तहसीलदार को प्रार्थीनी द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम ,2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृर्षि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर की राशि 5,198/— रूपये की दुगनी राशि 10,396/— रूपये खातेदार/भूमिधारी तहसीलदार को जरिये डीडी/बैंकर्स द्वारा अदा किये जानें पर रास्ता दिया जानें का प्रावधान है। प्रार्थीनी द्वारा डीएलसी दर की दुगनी राशि जमा करानें पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जावें। तदनुसार तहसीलदार रामसर राजस्व रिकॉर्ड एवं लट्ठा नक्शा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज **25.03.2026** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर नंबर से कम हो।

25/3/2026

सहायक कलक्टर (रामसर)

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
(SDO) रामसर

क्रमांक : रीडर/2026/219-21

दिनांक :— 25/3/2026

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर को निर्णय की प्रति भेजकर लेख हैं कि निर्णय की पालना की जाकर पालना रिर्पोट से इस न्यायालय को अवगत करावे।
2. प्रार्थीनी हुरमत पत्नी अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी हालेपोतरों की बस्ती तहसील रामसर को सूचनार्थ।
3. विप्रार्थी तहसीलदार रामसर को सूचनार्थ।

25/3/2026

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner